आयकर आयुक्त ने अधिनियम की धारा 206सी के तहत देय राशि में लाइसेंस शुल्क को शामिल करने में गलती की थी और आबकारी और कराधान आयुक्त को याचिकाकर्ताओं की तरह एल-14ए लाइसेंसधारियों से लाइसेंस शुल्क का 10 प्रतिशत काटने की आवश्यकता नहीं थी और यह इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता उस राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे।

(11) परिणामस्वरूप, लिखित याचिकाओं की अनुमति दी जाती है और याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए नोटिसों में उन्हें लाइसेंस शुल्क का 10 प्रतिशत जमा करने की आवश्यकता होती है क्योंकि आयकर रद्द कर दिया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

जे एस टी।

माननीय *वी. एम. जैन,* के समक्ष.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,-याचिकाकर्ता

बनाम

बिस्ना और एक *और,-उत्तरदाता*

1999 का सी. आर. सं. 5266

29फरवरी, 2000

न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870-अनुसूची I, अनुच्छेद I-विचारण न्यायालय ने फैसला *सुनाया, बैंक का मुकदमा लागत और भविष्य के ब्याज के* साथ *6 प्रतिशत पी. ए.-अपील में, बैंक भविष्य के ब्याज का दावा 15 प्रतिशत पी. ए.-क्या अपीलीय न्यायालय ने बैंक को दावा की गई अतिरिक्त राशि पर विज्ञापन मूल्य अदालत* शुल्क *का भुगतान करने का निर्देश देने में न्यायसंगत ठहराया-हाँ।*

अभिनिर्धारित किया गया कि विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने वादी-अपीलार्थी-बैंक को ब्याज के प्रति अपील में *दावा की* गई राशि के अंतर पर, अर्थात दावा की गई राशि और ब्याज के रूप में दी गई राशि के बीच के अंतर पर, अपील में अदालत शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देना पूरी तरह से उचित था।तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका विफल हो जाती है और सीमित रूप से खारिज कर दी जाती है।यह स्पष्ट किया जाता है कि वादी-बैंक को भविष्य/आगे के ब्याज के माध्यम से बैंक द्वारा दावा की गई राशि पर विज्ञापन मूल्य अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसे निचली अदालत द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जिसकी गणना अपील दायर करने की तारीख तक की जाएगी।

(पैरा 19 और 20)

याचिकाकर्ता की ओर *से आई. पी. एस. दोआबिया, अधिवक्ता।*

निर्णय

न्यायमूर्ति वी. एम. जैन

(1) यह 29 जनवरी, 1999 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका है। 74 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2000 (2)

याचिकाकर्ता-बैंक अपने समक्ष लंबित अपील में दावा की गई राशि पर अदालत शुल्क

लगाएगा।

(2) तथ्य कौन से हैं?वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के निर्णय के लिए प्रासंगिक यह है कि भारतीय स्टेट बैंक ने रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया था। 1,34,874 प्रतिवादियों के खिलाफ-लागत और भविष्य के ब्याज के साथ उत्तरदाता।उक्त मुकदमे को प्रतिवादियों द्वारा चुनौती दी गई थी।विद्वत विचारण न्यायालय ने 19 मई, 1998 के निर्णय और डिक्री के माध्यम से वादी-बैंक के मुकदमे में 5 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया।1,34,874 मुकदमे की स्थापना की तारीख से देय मूल राशि पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लागत और भविष्य के ब्याज के साथ डिक्रिटल राशि की प्राप्ति तक और एक प्रारंभिक डिक्री पारित की गई और प्रतिवादियों को उक्त डिक्रिटल राशि का भुगतान करने के लिए 6 महीने की अवधि की अनुमति दी गई, जिसमें विफल रहने पर वादी-बैंक को अंतिम डिक्री के लिए आवेदन करने का हकदार ठहराया गया।निचली अदालत के उक्त फैसले और फरमान से असंतुष्ट, वादी-बैंक ने निचली अदालत द्वारा अनुमति के अनुसार 6 प्रतिशत प्रति वर्ष के बजाय 15 प्रतिशत वार्षिक भविष्य के ब्याज का दावा करते हुए एक अपील दायर की।उक्त अपील पर, रुपये का अदालत शुल्क निर्धारित किया गया। 25 चिपकाया गया था।दोनों पक्षों को सुनने के बाद विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का विचार था कि दावा की गई अतिरिक्त राशि पर अदालत शुल्क लगाया जाना चाहिए और तदनुसार *वादी-बैंक को* 29 जनवरी, 1999 के आदेश के अनुसार दावा की गई अतिरिक्त राशि पर अदालत शुल्क लगाने के लिए समय दिया गया था।उक्त आदेश के खिलाफ, वादी-बैंक ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

(3) चूंकि याचिका को फिर से दायर करने में देरी हुई है, इसलिए उक्त देरी को माफ करने के लिए सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था।धारा 149 सी. पी. सी. के तहत एक अन्य आवेदन भी पक्षकारों के ज्ञापन पर न्यायालय शुल्क के भुगतान में परिभाषा को पूरा करने में समय बढ़ाने के लिए दायर किया गया था।

(4) याचिकाकर्ता के वकील को सुना गया है और रिकॉर्ड पर विचार किया गया है।

(5) जहाँ तक दो आवेदनों का संबंध है; एक धारा 151 के तहत और दूसरा धारा 149 सी. पी. सी. के तहत, ये दोनों आवेदन स्वीकार किए जाने के योग्य हैं क्योंकि पक्षों के ज्ञापन पर न्यायालय शुल्क टिकटों में कमी थी जिसे पहले ही ठीक कर दिया गया है।तदनुसार, न्यायालय शुल्क के भुगतान के लिए समय बढ़ाया जाता है और पुनरीक्षण याचिका को फिर से दायर करने में देरी को माफ कर दिया जाता है।

(6) गुण-दोष पर, याचिकाकर्ता-बैंक के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता-बैंक को भविष्य के ब्याज के लिए वादी-बैंक द्वारा दावा की गई अतिरिक्त राशि पर अदालत शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देने में कानूनी रूप से गलती की है।यह प्रस्तुत किया गया था कि वादी बैंक द्वारा दायर अपील में वादी अपीलकर्ता बैंक द्वारा दावा की गई राशि पर कोई अदालत शुल्क देय नहीं है।संदर्भ था

मोहम्मद सईद *और एक अन्य बनाम* अब्दुल *अलीम और अन्य (1)* बेता *सिंह और अन्य बनाम* भारत *संघ और अन्य (2)।*

(7) हालाँकि, मुझे वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है।याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए दोनों अधिकारियों का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई आवेदन नहीं होगा।ए. आई. आर. 1947 लाहौर 40 (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक असफल वादी द्वारा बंधक पर एक मुकदमे में अपील पर अदालत शुल्क मूल मुकदमे पर देय राशि के समान होना चाहिए, न कि उस राशि पर जो अपील दायर करने के समय तक ब्याज के संचय द्वारा बढ़ाई गई थी।इस प्राधिकरण में निर्धारित कानून वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा।प्राधिकरण 1988 (2) पी. एल. आर. 49 (ऊपर) पूरी तरह से एक अलग बिंदु पर है और इसका मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

(8) जहाँ तक विचारण न्यायालय द्वारा अनुमत राशि और अपील में टीजेजेपी वादी द्वारा दावा की गई राशि (यहां तक कि difference.in ब्याज के संबंध में भी) के बीच के अंतर पर न्यायालय शुल्क के भुगतान के संबंध में प्रश्न *पुनर्समावेशक नहीं है।*

(9) दामोदर *पर्सद बनाम* हरदेव *पर्सद (3)* के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां अपीलार्थी ने अन्य राशियों के साथ-साथ निचली अदालत द्वारा अस्वीकृत व्यय राशि के रूप में निश्चित रूप से पता लगाने योग्य राशि का दावा किया है, तो उसे "विवादग्रस्त विषय वस्तु के मूल्य के अनुसार राशि" का हिस्सा माना जाना *चाहिए और* न्यायालय शुल्क अधिनियम की अनुसूची I अनुच्छेद I के तहत, लंबित राशि के रूप में दावा की गई राशि पर विज्ञापन मूल्य अदालत *शुल्क का भुगतान किया* जाना *चाहिए।इसी तरह, जगरनाथ प्रसाद और* अन्य बनाम भाला प्रसाद सिंह और अन्य (4) मामले में, पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जब कोई मुकदमा दायर किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि लंबित ब्याज का दावा एक सुनिश्चित राशि के लिए नहीं है।लेकिन एक बार मुकदमा घोषित होने के बाद स्थिति काफी अलग होती है और विशेष रूप से डिक्री की तारीख तक अस्वीकृत लंबित ब्याज के संबंध में अपील को प्राथमिकता दी जाती है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि *ऐसे मामले* में लंबित ब्याज के लिए दावा सुनिश्चित किया जा सकता है और इसलिए अपील में लंबित के रूप में दावा की गई राशि पर अनुसूची I अनुच्छेद I के तहत अदालत शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।लघु ब्याज जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया था।

, (10) *मिश्रीलाल ताराचंद लोढ़ा* बनाम *महाराष्ट्र राज्य और अन्य (5),* यह बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 5 में अभिनिर्धारित किया गया था।

(1) आकाशवाणी 1947 लाहौर 40 '
(2) 1988 (2) पीएलआर 49
(3) ए. आई. आर. 1931 इलाहाबाद 351
(4) ए. आई. आर 1945 पटना 145
(5) ए. आई. आर. 1962 बॉम्बे 52

निर्णय कि एक नियमित अपील में लागत की राशि पर कोई अदालत शुल्क देय नहीं है, लेकिन यदि कोई अपील केवल लागत के खिलाफ निर्देशित की जाती है, तो निश्चित रूप से अपील में चुनौती दी जाने वाली राशि पर अदालत शुल्क देय है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि ब्याज के मामले में एक ही सिद्धांत का पालन नहीं किया जाना चाहिए, जहां केवल ब्याज अपील

का विषय है और पक्षकारों के बीच मूल अधिकार नहीं है।फतेह सिंह और एक अन्य *बनाम मौज राय और* अन्य *(6) मामले में, लाहौर* उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आम तौर पर उस डिक्री में प्रविष्ट लागत पर कोई अदालती शुल्क देय नहीं है जिसके खिलाफ अपील प्रस्तुत की जाती है, लेकिन जहां अपीलकर्ता किसी अन्य राहत के अलावा स्वतंत्र रूप से इस आधार पर स्पष्ट राहत चाहता है कि अपील के तहत डिक्री द्वारा पक्षों की लागत का उचित मूल्यांकन या विभाजन नहीं किया गया है, ऐसी विशिष्ट राहत के मूल्य को अदालत शुल्क के उद्देश्य के लिए विवाद में विषय वस्तु के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए।

(11) शेख *रहमान बनाम* बालचंद *और एक अन्य* (7) मामले में, नागपुर उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक सामान्य नियम के रूप में वाद पर अदालत शुल्क मुकदमे की तारीख तक दावा किए गए ब्याज पर देय है, लेकिन उससे आगे नहीं और यदि मुकदमा खारिज हो जाता है और वादी अभी भी अपील में ब्याज चाहता है, तो उसे उस तारीख तक दावा की गई राशि पर अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा जिस *दिन वह* अपील *दायर करता* है, लेकिन उससे आगे नहीं।तारापद मित्र बनाम जगदम्बा कुमारी (8) में, पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इक्विटी और कानूनी रूप से एक पक्ष को उस राशि पर अदालत शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है जिसकी वसूली के लिए वह अदालत की सहायता चाहता है और जहां एक डिक्री धारक डिक्री में नामित राशि के अलावा ब्याज के रूप में राशि की वसूली के लिए उपयोग करता है, उसे उस राशि पर अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा जिसका वह दावा करता है।

(12) गोबर्धन *दास बनाम* नरेंद्र *बहादुर सिंह और अन्य (9)* मामले में, अवध उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि भविष्य के ब्याज से संबंधित अपील पर देय उचित न्यायालय शुल्क, अपील प्रस्तुत *करने की* तारीख तक दावा की गई ब्याज की राशि पर एक विज्ञापन मूल्य शुल्क है।जमुना राय बनाम रामटहल राउत *और अन्य* (10) *मामले में, गिरवी पर* एक मुकदमे को निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था और अपील दायर करने वाले वादी ने अपील के ज्ञापन पर वही अदालत शुल्क का भुगतान किया था जैसा कि वाद पर भुगतान किया गया था और अपीलीय अदालत ने वादी को वाद की स्थापना और डिक्री की तारीख के बीच उपार्जित ब्याज के साथ वाद में दावा की गई राशि से सम्मानित किया और इन परिस्थितियों में, यह पटना की खंड पीठ द्वारा आयोजित किया गया था।

(6) ए. आई. आर. 1934 लाहौर 739
(7) ए. आई. आर 1937 नागपुर 6
(8) ए. आई. आर 1920 पटना 376
(9) ए. आई. आर. 1919 अवध 305 (1)
(10) आकाशवाणी 1922 पटना 387 (2)

उच्च न्यायालय ने कहा कि वादी ब्याज के रूप में दी गई राशि पर अतिरिक्त अदालत शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य थे।

(13) हकीम *मेहर दीन बनाम* स्वामी *कुटिलक राम (11)* में, गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री के लिए एक मुकदमे में प्रारंभिक बंधक डिक्री ने वादी को मुकदमे की तारीख से मोचन के लिए निर्धारित तिथि तक मूलधन और मूलधन की ओर से ब्याज के कारण एक निश्चित राशि प्रदान की।अपील में, वादी ने मुकदमे की तारीख से वसूली की तारीख तक मूलधन की पूरी राशि पर ब्याज का दावा किया।उन परिस्थितियों में, लाहौर उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वाद की स्थापना की तारीख से प्राप्ति की तारीख तक की अवधि दो भागों में विभाजित थीः—(1) वाद स्थापित किए जाने की तारीख से मोचन की तारीख तक की अवधि और (2) मोचन की तारीख से प्राप्ति की तारीख तक की अवधि।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जहां तक दूसरी अवधि का संबंध है, वादी द्वारा दावा की गई राशि अनिश्चित थी और इस प्रकार वादी को रुपये की निश्चित अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा। 10, लेकिन जहां तक पहली अवधि का संबंध था, वादी द्वारा दावा की गई कुल राशि का पता लगाया जा सकता था और इसी तरह इस अवधि के संबंध में वादी को दी गई कुल राशि का भी पता लगाया जा सकता था।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार पहली अवधि के संबंध में अपील में दावा की गई कुल राशि में से, निचली अदालत द्वारा इस अवधि के संबंध में वादी को दी गई कुल राशि की कटौती की जानी चाहिए और इन दोनों राशियों के बीच का अंतर एक निश्चित और सुनिश्चित राशि होगी और इस राशि पर अदालत शुल्क का भुगतान अदालत शुल्क अधिनियम *की अनुसूची* I अनुच्छेद I के तहत किया जाना चाहिए।

(14) उपर्युक्त प्राधिकरणों में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट होगा कि वादी बैंक को निचली अदालत द्वारा अनुमत राशि और अपील में *वादी-अपीलकर्ता बैंक* द्वारा दावा की गई राशि के बीच का अंतर होने के कारण अपील दायर करने की तारीख तक अपील में दावा किए गए भविष्य/आगे के ब्याज पर विज्ञापन मूल्य अदालत शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था।

(15) अपील के तहत भविष्य के ब्याज पर अदालत शुल्क के भुगतान के बारे में सवाल भी महाराष्ट्र राज्य बनाम मिश्रीलाल ताराचंद लोढ़ा और अन्य (12) मामले *में सुप्रीम कोर्ट* के *उनके लॉर्डशिप के समक्ष विचार* के लिए सामने आया।उक्त प्राधिकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी भी न्यायालय शुल्क की आवश्यकता नहीं है।भविष्य के ब्याज पर भुगतान किया जाता है जहां अपीलार्थी विचारण न्यायालय की डिक्री को चुनौती देता है।पूरे फरमान को चुनौती दे रहा था।तथापि, जहां अपीलार्थी संपूर्ण डिक्री को चुनौती नहीं दे रहा था, बल्कि केवल निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री के उस हिस्से को चुनौती दे रहा था, जिसके द्वारा -

वादी-अपीलार्थी को भविष्य/आगे के ब्याज के लिए कम ब्याज दर की अनुमति दी गई थी, यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, वादी-अपीलार्थी बैंक को दावा *की जाने* वाली राशि पर अदालत शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।उक्त प्राधिकारी में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मिट्ठू लाई बनाम माउंट में निर्धारित कानून पर भरोसा *करने के* बाद। *चमेली (13)* और माउंट में अवध उच्च न्यायालय द्वारा। केवलपति *बनाम बी.* एन.

(11) AIR 1943 लाहौर 275

(12) AIR 1964 SC 457

वर्मा (14) (ऊपर), यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः—

> "(20) इसलिए हमारा मानना है कि अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 1 के प्रयोजनों के लिए अपील में विवादग्रस्त विषय वस्तु की राशि या मूल्य में अभिनिर्धारित लघु ब्याज की राशि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि अपीलार्थी उस डिक्री को अलग करने के दावे से स्वतंत्र रूप से लंबित ब्याज की राशि के लिए डिक्री के सुधार को विशेष रूप से चुनौती नहीं देता है।यहाँ अपीलार्थी ने उस संबंध में डिक्री को विशेष रूप से चुनौती नहीं दी है और इसलिए उच्च न्यायालय अपील के ज्ञापन पर पर्याप्त मुहर लगाने के लिए सही है।"

(16) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि अपील के ज्ञापन पर देय न्यायालय शुल्क की राशि निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए "अपील में विवादग्रस्त विषय का मूल्य" अभिव्यक्ति का अर्थ लगाना आवश्यक था और दीवानी न्यायालय में दायर अपील के ज्ञापन पर भुगतान किए जाने वाले न्यायालय शुल्क के प्रश्न को नियंत्रित करने वाला प्रासंगिक प्रावधान न्यायालय शुल्क अधिनियम की अनुसूची I के अनुच्छेद I में निहित है, जिसके अनुसार न्यायालय शुल्क का भुगतान विवादग्रस्त विषय की राशि या मूल्य *के अनुसार* किया जाना है।उक्त प्राधिकारी में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि अपीलार्थी स्पष्ट रूप से व्यय या विचाराधीन लघु ब्याज के संबंध में डिक्री की औचित्य या शुद्धता पर विवाद करता है, तो उसे स्वतंत्र रूप से निचली अदालत में विषय वस्तु के दावे पर अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा, क्योंकि उस मामले में वह अपील में उन राशियों पर विवाद करता है और इसलिए वे राशियां "अपील में विवाद में विषय वस्तु के मूल्य" अभिव्यक्ति के भीतर आती हैं।यह भी माना गया कि यह अदालतों के विभिन्न फैसलों का आधार रहा है जिसमें अदालत से लागत की राशि या भविष्य के अंतराल पर शुल्क की मांग की गई है।

(17) उपर्युक्त प्राधिकारी में उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपति द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, यह स्पष्ट होगा कि वादी-अपीलकर्ता बैंक को भविष्य/आगे के ब्याज के लिए अपील में दावा की गई राशि *पर विज्ञापन* मूल्य अदालत शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता थी, जिसे निचली अदालत द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और जब तक कि

---

(13) AIR 1934 इलाहाबाद 805

(14) AIR 1937 अवध 8

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपांशु सरकार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)

उक्त राशि की गणना करते हुए, वादी-अपीलकर्ता बैंक को अपील दायर करने की तारीख तक अनुमत राशि और भविष्य/आगे के ब्याज के लिए दावा की गई राशि के बीच के अंतर की गणना करने की आवश्यकता होगी।मेरे विचार में, उपरोक्त प्राधिकरण में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपतियों द्वारा निर्धारित कानून भविष्य/आगे के ब्याज पर विज्ञापन मूल्य अदालत शुल्क के भुगतान के संबंध में *एक क्लिंचर* है, विशेष रूप से वादी अपीलार्थी बैंक द्वारा निर्णय और निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री के खिलाफ अपील में दावा किया गया है।

(18) इस फैसले के साथ भाग लेने से पहले, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक प्राधिकरण को संदर्भित करूं, जो <?एच का कुछ असर है।हाथ में मामला और जो मुझे इस विषय पर कानून के माध्यम से *जाने के दौरान मिला।मेसर्स इंडियन मेटल्स एंड* फेरो *अलॉयज लिमिटेड बनाम गुरचरण* बिस्वाल और एक अन्य (15) मामले में, मुकदमे की अदालत ने लंबित राशि और भविष्य के ब्याज के साथ दावे के एक हिस्से की अनुमति नहीं दी थी।अपील में, वादी ने उस राशि का दावा किया जिसे निचली अदालत ने भविष्य और लंबित ब्याज के साथ अस्वीकार कर दिया था।इन परिस्थितियों में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विचाराधीन राशि और भविष्य के ब्याज का अनुदान न्यायालय के न्यायिक विवेकाधिकार के भीतर होने के कारण, डिक्री के उस हिस्से को चुनौती देने के लिए कोई अदालत शुल्क देय नहीं था, जब मुकदमे से पहले की अवधि से ब्याज से इनकार को चुनौती दी गई थी और उस पर अदालत शुल्क का भुगतान किया गया था।मेरी राय में, उक्त प्राधिकारी में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा नीचे दिए गए कानून का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा, जहां वादी बैंक के पूरे दावे को निचली अदालत द्वारा कम दर पर ब्याज देने के अलावा निर्णय दिया गया था और अपील में, वादी बैंक ने उच्च ब्याज दर का दावा किया था और इससे अधिक नहीं।किसी भी मामले में, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 457 (ऊपर) में उच्चतम न्यायालय के *उनके अधिपतियों* द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए वादी बैंक को निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और डिक्री के खिलाफ दायर अपील में अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा।

(19) ऊपर मेरी विस्तृत चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने वादी अपीलार्थी बैंक को ब्याज के लिए अपील में *दावा की* गई राशि के अंतर पर, यानी दावा की गई राशि और ब्याज के रूप में दी गई राशि के बीच के अंतर पर, अपील में अदालत शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देना पूरी तरह से उचित था।

(20) तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका विफल हो जाती है और सीमित रूप से खारिज कर दी जाती है।यह स्पष्ट किया जाता है कि वादी बैंक *को भविष्य/ आगे* के ब्याज के माध्यम से बैंक द्वारा दावा की गई राशि पर विज्ञापन मूल्य अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसे निचली अदालत द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जिसकी गणना अपील दायर करने की तारीख तक की जानी चाहिए।

(15) 1993आईएसजे (बैंकिंग) 485

(21) याचिकाकर्ता-अपीलार्थी को आवश्यक अदालती शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देते हुए, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने वादी-अपीलार्थी बैंक को 15 फरवरी, 1999 तक अदालत शुल्क का भुगतान करने के लिए समय दिया था।तब से यह अवधि समाप्त हो गई है।इन परिस्थितियों में, यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलकर्ता बैंक ने अब तक आवश्यक शुल्क का भुगतान नहीं किया है, तो याचिकाकर्ता बैंक को आवश्यक अदालती शुल्क का भुगतान करने के लिए 3 अप्रैल, 2000 तक का समय दिया जाता है।